कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 352/5–आबकारी/वि0म0दु0–व्यवस्थापन–2024/2024–25/उत्तरकाशी:दिनांक: 23, मार्च,2024

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या–148/XXIII-1/2024-04(01)/ 2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति विषयक् नियमावली 2024–25 के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के विज्ञप्ति संख्या 27768/ सात0 लाई–एस0–47/आबकारी नीति–2024 देहरादूनः दिनांक मार्च, 22, 2024 द्वारा अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन द्वितीय चरण लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम व समय सारणी निर्धारित की गयी है।

क्र0 सं0	द्वितीय चरण	स्थान दिनांक व समय
1	लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि (प्रारम्भ)	26.03.2024
2	लॉटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय	27.03.2024 (सायं 05.00 बजेतक)
3	लॉटरी की तिथि/समय एवं स्थल	(कलेक्ट्रेट परिसर उत्तरकाशी) में 28.03.2024 को अपराह्व 03:00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक

द्वितीय चरण लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापित की जाने वाली विदेशी मदिरा दुकानों के राजस्व का विवरणः–

क्र० सं०	विदेशी मदिरा दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कॉलम 3 का 1%) 1000 के पूर्णांकमें	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु कुल वार्षिक न्यूतम प्रत्याभूत ड्यूटी (कॉलम 3–4)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 3 का 15 प्रतिशत)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12)	धरोहर धनराशि (कॉलम 3 का 2.5%)	उप दुकान हेतु प्रस्तावित / चिन्हित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चिन्यालीसौड	82371571	824000	81547571	12355736	6795631	6795631	2059289	बड़ेथी
2	मोरी	31580387	316000	31264387	4737058	2605366	2605366	789510	खरसाड़ी
3	नैटवाड़	24825116	248000	24577116	3723767	2048093	2048093	620628	सांकरी
4	आराकोट	8154092	82000	8072092	1223114	672674	672674	203852	टिकोची
5	रातलधार	15133857	151000	14982857	2270079	1248571	1248571	378346	–
	योगः–	162065023	1621000	160444023	24309754	13370335	13370335	4051625	---------

इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, शपथ पत्र निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, निर्धारित प्रक्रिया शुल्क रू0 65000/–(नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी के पदनाम से जारी हो तथा वांछित हैसियत प्रमाण–पत्र जी–39 प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जारी हैसियत प्रमाण–पत्र जो 31.03.2024 तक वैध हो की सत्यापित छायाप्रति इस आशय के शपथ पत्र के साथ संलग्न जा सकेगी कि हैसियत प्रमाण–पत्र में उल्लिखित सम्पत्ति खुर्द–बुर्द, बिक्री हस्तांतरित, दान नहीं की जायेगी तथा निवास प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, एवं आधार कार्ड, 02 वर्षो की आई0टी0आर0 प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रतियां (10 करोड़ या उससे अधिक राजस्व की मदिरा दुकान में न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान में न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण–पत्र) संलग्न किया जाना अनिवार्य है। द्वितीय चरण की लॉटरी प्रक्रिया में कोई भी भारतीय नागरिक पात्र होगा। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात् जनपद की अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून की विज्ञप्ति संख्या–27768/ सात0 लाई–एस0–47/आबकारी नीति–2024 देहरादूनः दिनांक मार्च, 22, 2024 (दिनांक 23.03.2024 के समाचार पत्रों में प्रकाशित) में दिये गये पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जायेगा। उपरोक्त दुकानों के आवंटन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं शर्ते विभागीय बेवसाईड http://uttrakhandexcise.org.in से तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

23.03.2024

प्र0 जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरकाशी।

..................................2

संख्या 382/5–आबकारी / वि0म0दु0–व्यवस्थापन–2024 / 2024–25 / उत्तरकाशी:दिनांक: 23, मार्च,2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट **www.uttarakhandexcise.org.in** पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को **www.uk.gov.in** एव **nic** की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सम्पादक अमर उजाला / दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 24.03.2024 के अंक में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित कराते हुये बिल की प्रति भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–2 पुरोला एवं क्षेत्र–4 डुण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुये उक्त दुकानों व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।
8. जिला कार्यालय के सूचना पट में चस्पा हेतु।

23/03/2024

प्र0 जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरकाशी।